न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–138/15

1. इमरान पुत्र मुतबन्ना हुरू, जाति मेव, निवासी ग्राम नंगला रटावता, तहसील अलवर, जिला अलवर।

——अपीलान्ट

बनाम

1 मु0 मरियम बेवा हुरू, जाति मेवा निवासी ग्राम नांगल रटावता तहसील अलवर जिला अलवर।

—— रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 08.08.2018

अपीलार्थी द्वारा यह जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 21.02.2012 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि माननीय न्यायालय के समक्ष जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 21.02.2012 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई जिसमें जिला कलक्टर अलवर द्वारा तहसीलदार अलवर के नामान्तरकरण संख्या 306 दिनांक 20.07.1991 को यथावत रखा है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई कि हारून व उसकी बेवा मरियम द्वारा बचपन में ही अपीलान्ट इमरान को गोद ले लिया था तथी से अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट के साथ रहकर मृतक हारून व रेस्पोडेन्ट की सेवा व सार संभाल करता रहा है, एवं समस्त रिति रिवाज की पूर्ति करते हुये काजी के सामने स्वयं हारून व उसकी पत्नी द्वारा सब कुटुम्ब के सदस्यों के सामने अपीलान्ट को गोद लिया था, हारून की मृत्यु के पश्चात् अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम भूमि दर्ज हो गई जबकि अपीलान्ट हारून का दत्तक पुत्र है उसका भी अपीलाधीन भूमि में 1/2 हिस्सा निहित है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि स्वयं रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 19.05.2008 को नोटेरी पब्लिक के समक्ष एक गोदनामा निष्पादित किया था जिसमें इस तथ्य को स्वीकार किया था कि उसके द्वारा अपीलान्ट को गोद ले रखा है एवं अपीलाधीन भूमि में उसका भी हक व अधिकार निहित है, अपीलान्ट मृतक का गोद पुत्र है एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई व अपना पक्ष रखने का किसी प्रकार का कोई मौका नही दिया जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों विपरित होन से खारिज किये जाने योग्य है लेकिन अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय में ऐसा कोई भी विधिक बिन्दू निर्णित नही किया जिससे कि यह सिद्ध होता हो कि अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट का दत्तक पुत्र न हो, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न्यायालय श्रीमान् के समक्ष भी समुचित तामील किये जाने के उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट न तो स्वयं उपस्थित हुई ना ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुये जो इस तथ्य को स्वीकार करती है कि स्वयं रेस्पोडेन्ट भी अपीलान्ट को दत्तक पुत्र स्वीकार करती है, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय को विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के

P.T.O.

संभागीय आयुक्त

अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण को खारिज कर तहसीलदार को इस दिशा निर्देश के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक था कि उभयपक्षों को साक्ष्य, सबूत का अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा किसी भी प्रकार का निर्णय न कर भारी कानूनी भूल की है, अर्पालान्ट मृतक हारून के गोद आ जाने के पश्चात् उनके जायन्दा पिता से किसी प्रकार के सम्बन्ध व सरोकार नही रहे, ना ही उसकी सम्पत्ति में उसको किसी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त हुये है, यदि यहॉ भी उन्हे हक व अधिकार प्राप्त नही हुये तो वह अपना जीवनयापन नही कर पायेगा, उन्होने आगे कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् की पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो गोदनामा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका खण्डन किसी पक्षकार द्वारा नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पूर्णतः विधि सम्मत है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.02.2012 एवं तहसीलदार अलवर का नामान्तरकरण संख्या 306 दिनांक 20.07.1991 को खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार अलवर को उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत व सुनवाई का सुमचित अवसर दिया जाकर पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार हुरू के फौत होने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण खातेदार की बेवा मरीयम के नाम से नामान्तरकरण संख्या 306 दिनांक 20.07.1991 को तहसीलदार अलवर द्वारा स्वीकार किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गये है जिससे कि वह वादग्रस्त आराजी के खातेदार का दत्तक पुत्र साबित होता हो। उपरोक्त तथ्यो के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.02.2012 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतित नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.02.2012 को यथावत रखा जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर